सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (र

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 01/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र श्री चौथमल राठौर (मौके पर मौजूद विक्रेता) निवासी तेल फैक्ट्री, बजरंगबली मन्दिर के पास, झालावाड़ रोड़ बारां। मेसर्स श्री राठौर किराना स्टोर, तेल फेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां
2. श्री चौथमल राठौर पुत्र श्री बजरंगीलाल राठौर (खाद्य रजि0 धारी) निवासी तेल फैक्ट्री, बजरंगबली मन्दिर के पास, झालावाड़ रोड़ बारां। मेसर्स श्री राठौर किराना स्टोर, तेल फेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां
3. श्री रविश क्षैतिजा पुत्र श्री सुदामा दास क्षेतिजा, मेसर्स शारदा मॉ ट्रेडिंग कम्पनी अम्बेडकर सर्किल, बारां। निवासी खाकी बाबा की बगीची के पास बारां।
4. श्रीमति सरोजदेवी जैन पत्नि श्री पारसमल जैन, निवासी कमला नगर वार्ड 22 जयपुर, मेसर्स जैन सॉल्ट एण्ड कम्पनी ऑफिस नं. 24 अशोका कॉम्प्लेक्स चोरडिया पेट्रोल पम्प के सामने सांगानेर जयपुर
5. श्री राकेश पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी 19–20–3, वोरदा–7/बी, गांधी धाम कच्छ (नोमिनी) मेसर्स इण्डो ब्राईन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सर्वे नं. 282 गांव चौपाड़वा एनएच–8ए, तालुका बचाउ, कच्छ, गुजरात
6. मेसर्स इण्डो ब्राईन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सर्वे नं. 282 गांव चौपाड़वा एनएच–8ए, तालुका बचाउ, कच्छ, गुजरात

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 11.04.2018

आवेदक द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि दिनांक 04.08.2015 को समय 03.15 पी. एम. पर **मेसर्स राठौर किराना स्टोर, तेल फेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां** पर पहुंचा। वहां पर **श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र श्री चौथमल राठौर** मौके पर मौजूद विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** 01 किलोग्राम के 20 पोलिपेक विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक को **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर खाद्य वस्तु **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** 01 किलोग्राम के 4 पोलिपेक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता **श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र श्री चौथमल राठौर** को रू. 60/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** 01 किलोग्राम के 4 पोलिपेक को अलग अलग नमूना भाग में कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। आवेदक ने फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ा, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर सील्ड लिफाफे में श्री सूरजमल प्रजापति (च0 श्रे0 कर्म0) कार्यालय बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी. ओ. एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/325 दि. 02.10.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एलएस 1962/एक्ट/2015/1284 दि. 24.09.2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, खाद्य वस्तु **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3 (1)(zf)(A)(i)(a) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2015 में खाद्य पदार्थ को नमूना जांच उपरान्त मिसब्रांड होना बताया है। इस संबंध में निवेदन है कि बेचे जाने वाला नमक शुद्धता व गुणवत्ता से भरपूर है व आइ.एस.आइ. के मापदंड के अनुरूप है किन्तु फूड एनालिस्ट को पाउच पे लिखे रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो दांडी नमक "अमृत है बुद्धि और शक्ति के लिए" पर ही आपत्ति है। सरकार द्वारा अपने विज्ञापन में आयोडीन का प्रचार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ नागपूर से माननीय न्यायमूर्ति ने रिट पिटीशन 2515 सन् 2010 अंतर्गत फूड मिक्सचर प्रिवेंशन एक्ट 1954 नेस्ले कं. इंडिया लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य में धारा 31 (ग) अंतर्गत कथन को उदवधृत किया है लेबल पर स्लोगन लिखा जाना मात्र एक वास्तविकता से संबंधित तथ्य है और यह नियम 31 पीएफ एक्ट का उल्लंघन नही है। इससे स्पष्ट है कि इंडो ब्राइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फूड सेफ्टी एक्ट एंड मेलडेट एक्ट पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 रूल 2–4–6 का उल्लंघन नहीं किया है। निर्माता ने दांडी नमक के पाउच पर उक्त स्लोगन लिखना भी गत एक वर्ष से बन्द कर दिया है। खाली पाउच की प्रतियां जवाब के साथ संलग्न हैं। अतः विकेता एवं निर्माता को उनपर लगाए गए विविध धाराओं के तहत आक्षेपों से बरी किया जाए। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण विकेता हैं। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने उक्त नमक अप्रार्थी कम 3 से खरीदकर आम जनता को विकय किया है। यदि उक्त नमक मिथ्याछाप माना जाता है तो उसके लिए अप्रार्थी कम 6 जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य वस्तु **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** का विकय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 व 2 ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 व 2 रिटेलर है निर्माता एवं पैकिंगकर्ता नहीं है। नमक मिथ्याछाप होने के लिये निर्माता एवं पैकिंगकर्ता उत्तरदायी हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें। अप्रार्थी कम 6 के अभिभाषक ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि बेचे जाने वाला नमक शुद्धता व गुणवत्ता से भरपूर है व आइ.एस.आइ. के मापदंड के अनुरूप है किन्तु फूड एनालिस्ट को पाउच पे लिखे रिफाइंड आयोडाईज्ड फ्री फ्लो दांडी नमक "अमृत है बुद्धि और शक्ति के लिए" पर ही आपत्ति है। सरकार द्वारा अपने विज्ञापन में आयोडीन का प्रचार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ नागपुर से माननीय न्यायमूर्ति ने रिट पिटीशन 2515 सन् 2010 अंतर्गत फूड

मिक्सचर प्रिवेंशन एक्ट 1954 नेस्ले कं. इंडिया लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य में धारा 31 (ा) अंतर्गत कथन को उदवधृत किया है लेबल पर स्लोगन लिखा जाना मात्र एक वास्तविकता से संबंधित तथ्य है और यह नियम 31 पीएफ एक्ट का उल्लंघन नही है। इससे स्पष्ट है कि इंडो ब्राइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फूड सेफ्टी एक्ट एंड मेलडेट एक्ट पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 रूल 2–4–6 का उल्लंघन नहीं किया है। निर्माता ने दांडी नमक के पाउच पर उक्त स्लोगन लिखना भी गत एक वर्ष से बन्द कर दिया है। अतः विक्रेता एवं निर्माता को उनपर लगाए गए विविध धाराओं के तहत आक्षेपों से बरी किया जाए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **आयोडाइज्ड नमक (दांडी)** जांच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी कम 1 ता 6 तक प्रत्येक को 5000/–5000/– के कुल 30000/– अक्षरे तीस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज0)

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)